कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

।। कार्य विभाजन संशोधन आदेश ।।

क्रमांक / ...198/S.W./एक–05–1/05–25 **बड़वानी, दिनांक 08/03/2025**

--0--

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक C/2066/(Exclusive POCSO)/III-6-5/2010 (FTSCS) C.S.S. दिनांक 06.03.2025 के द्वारा जिला मुख्यालय बड़वानी हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु उक्त संबंध में पूर्व जारी समस्त अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के स्थान पर अधिसूचित किया गया है।

अतः मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला–बड़वानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–8(7), 8(8) एवं 214 के तहत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु जारी कार्य विभाजन संशोधन आदेश क्रमांक 153 दिनांक 24.02.2025 में आदेश दिनांक से आगामी आदेश होने तक के लिए निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ:–

1/ "न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश प्रभार में" अनुक्रमांक 4 प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी के कॉलम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अवकाश कार्य प्रभार को विलोपित किया जाता है,

2/ अनुक्रमांक 5(b) चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी के अवकाश प्रभार के संबंध में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5 (b)	**चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी**	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्या. बड़वानी	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.) बड़वानी

नोट:– माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक C/2066/(Exclusive POCSO)/III-6-5/2010 (FTSCS) C.S.S. दिनांक 06.03.2025 के द्वारा श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को जिला मुख्यालय बड़वानी हेतु "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012" के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप अवकाश प्रभारित न्यायाधीश द्वारा उक्त अधिनियम के तहत प्रकरणों में आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा।

8/3/25

(महेन्द्र कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 606/एक–26–1/05–25 **बड़वानी, दिनांक 08/03/2025**

<u>**प्रतिलिपि**</u> :– **आदेशानुसार**

01–प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बडवानी।

02–विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।

03–प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।

04–प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं बड़वानी ।

05–व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सेंधवा।

06–प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी ।

07–व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर / सेंधवा / खेतिया।

08–अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अंजड़ / राजपुर।

09–पुलिस अधीक्षक बड़वानी।

10–अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।

11–प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।

12–प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

10/03/25

प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)